भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 658

उत्तर देने की तारीख 19 जुलाई, 2017

बुधवार, 28 आषाढ़, 1939 (शक)

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कौशल की परिभाषा

658. श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः श्री राजीव सातवः
श्री धनंजय महाडीकः श्री पी.आर. सुन्दरमः डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

क्या **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में कौशल की परिभाषा अतंर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्पष्ट नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या पूर्व कौशल विकास पहल के अन्तर्गत केवल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रशिक्षित लोगों को देश में कौशल मापन हेतु वर्तमान नियमों के अधीन गिना जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे केवल कुछ ही लोगों को कुशल दिखाया जा रहा है जबकि वास्तविक संख्या अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ मिलकर कौशल की परिभाषा के साथ अब तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वंतत्र प्रभार)

(श्री राजीव प्रताप रूडी)

(क) से (ड.) कौशल की कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक व्याख्या नहीं है। भारत में कुशल जन-शक्ति के मूल्यांकन करने के तरीकों में बहुत भिन्नता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) अपने रोजगार तथा बेरोजगार सर्वेक्षण में कौशल संबंधी किसी सूचना का संग्रह नहीं करता है। किंतु, इस सर्वेक्षण आईटीआई सहित विभिन्न स्रोतों के जरिए प्राप्त औपचारिक और अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की सूचना का संग्रह किया जाता है। कुशल जन-शक्ति की संख्या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या से अधिक होगी। प्रयास यह किया जा रहा है कि कुशल जन-शक्ति का अनुमान लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधियों का अनुसरण किया जाए।

****